तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2551/2004/डुंगरपुर पूंजीलाल बनाम श्रीमती मजरी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री अशोक नाथ, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री अजीत लोढा, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

आदेश

दिनांक 27.06.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित संशोधित डिक्री दिनांक 27–03–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आक्षेपित संशोधित डिक्री दिनांक 27–03–2004 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–5 प्रेमचन्द ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर अपील संख्या 15/2000 बउनवानी श्रीमती मंजरी बनाम पूंजीलाल में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27–11–2002 में संशोधन किये जाने की प्रार्थना की। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 जाप्ता दीवानी को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2551/2004/डुंगरपुर पूंजीलाल बनाम श्रीमती मजरी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

स्वीकार कर भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर ने पूर्व में जारी डिक्री में संशोधन किया है। प्रावधित प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित संशोधित डिक्री के विरूद्ध नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है, प्रार्थी ने निगरानी के माध्यम से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र के माध्यम से पारित संशोधित डिक्री को आक्षेपित किया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी संधारण योग्य नहीं है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी संधारण योग्य नहीं होने से खारिज कर प्रार्थी को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित संशोधित डिक्री के विरूद्ध नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने की स्वतन्त्रता प्रदान की जाती है।

आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य